झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांक / /2017 ई0।

संख्याः 12/कोर्ट–05–04/2018 का0 /विभागीय आदेश संख्या–351 दिनांक–16.12.2004 एवं कार्यालय आदेश संख्या–07 दिनांक–17.01.2005 के द्वारा श्री शिव कुमार सिंह, निजी सहायक, श्री महेश प्रसाद शर्मा, निजी सहायक एवं श्री लाल दत्त ठाकुर, निजी सहायक को निजी सहायक के पद योगदान की तिथि–11.08.1987 से सेवा की गणना करते हुए क्रमशः दिनांक–12.08.1999, 11.08.1999 एवं 11.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया जिसके विरूद्ध श्री शिव कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा उनकी आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना करते हुए ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में वाद WP(S) No 1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–21.07.2017 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"………… Thus the office order, as contained in Memo No 5/vivid-19-13/2002 ka 121/Ranchi, dt 15 January 2005 and the Order No 5/vivid-19-13/2002 ka 07/Ranchi, dt 17 January 2005, are hereby quashed. The respondents are directed to re-calculate the benefits of Time bound promotions and the ACPs granted to the petitioners counting the period of service from their initial appointment i.e from the date they were appointed as Steno-Typist and not from the date they were appointed as Personal Assistant in the Secretariat Cadre. Necessary corrections are accordingly required to be made by shifting their initial date of appointment. This process of rectification must be done by the respondent No 02 within a period of eight weeks from the date of presentation of a copy of this order before him by the petitioners. All the consequential monetory benefits will also be extended to the petitioners within a period of four weeks, thereafter…….."

उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर LPA No- 504/2017 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–25.02.2019 को पारित आदेश में निरस्त(dismissed) कर दिया गया है।

2. वादीगण के द्वारा WP(S) No-1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–21.07.2017 को पारित आदेश के क्रम में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. (civil) Case No- 753/2017 शिव कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त अवमाननावाद में महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय के पत्रांक–8229 दिनांक–13.08.2019 एवं पत्रांक–11950 दिनांक–28.11.2019 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका WP(S) No- 1569/2006 में पारित आदेश दिनांक–21.07.2017 का अनुपालन हेतु 01 सप्ताह का समय दिया गया है।

3. LPA No- 504/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–25.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर Civil Review Petiton लंबित रहने की स्थिति में WP(S) No- 1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–21.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् हैः–

"----------- For the foregoing reasons, I am of the opinion that the judgment passed by the writ Court needs to be implemented forthwith subject to the above condition…….."

प्रासंगिक मामले में वादीगण को ए0सी0पी0 के तहत देय वेतनमान के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग के द्वारा प्राप्त परामर्श निम्नवत् हैः–

"..........वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि आशुटंकक से निजी सहायक में पद एवं वेतन का उत्क्रमण हुआ है, अतएव इसे एक वित्तीय उन्नयन मानकर आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 24 वर्षों की गणना कर इन आवेदकों को द्वित्तीय ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान कर अवमाननावाद का अनुपालन किया जा सकता है, जो दायर Review Petition से प्रभावित होगा। इन्हें IInd ए0सी0पी0 का लाभ वरीय निजी सहायक/आप्त सचिव के वेतनमान 6500–10,500 में अनुमान्य होगा।"

4. ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेशों एवं Cont. (civil) Case No- 753/2017 में महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेश के क्रम में LPA No- 504/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–25.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर Civil Review Petiton लंबित रहने की स्थिति में WP(S) No-1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–21.07.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श तथा प्रासंगिक मामले में योजना–सह–वित्त से प्राप्त परामर्श के आधार पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री शिव कुमार सिंह एवं अन्य को निम्नरूपेन ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया जाता हैः–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/ विभाग	जन्मतिथि सेवानिवृति तिथि	आशुटंकक के पद पर योगदान तिथि सम्पुष्टि तिथि	ए0सी0पी0 के तहत 24 वर्षों की सेवा के उपरांत आप्त सचिव के वेतनमान 6500–10500 में द्वित्तीय ए0सी0पी0 की देय तिथि	एम0ए0सी0पी0 के तहत 30 वर्षों की सेवा के उपरांत वेतनमान पी0बी0–2, ग्रेड वेतन– 5400/– में तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1.	श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।	05.01.1957 31.01.2017	15.05.1978 13.10.1986	15.05.2002	01.09.2008
2.	श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग।	07.05.2011 31.05.2011	28.12.1973 01.04.1974	09.08.1999	01.09.2008
3.	श्री लाल दत्त ठाकुर, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।	11.07.1949 31.07.2009	21.12.1972 10.12.1980	09.08.1999	01.09.2008

5. उपर वर्णित पदधारकों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ की अनुशंसा निम्नांकित शर्त्तों की अधीन की गयीः–

(क) उपर्युक्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ की स्वीकृति विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर Civil Review Petiton No- 47/2019 के फलाफल से प्रभावित होगा।

(ख) वादीगण के संबंध में विभागीय आदेश संख्या–351 दिनांक–16.12.2004, आदेश संख्या–07, दिनांक–17.01.2005 एवं आदेश संख्या–134 दिनांक–02.06.2010 के द्वारा स्वीकृत प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वित्तीय एम0ए0सी0पी0 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(ग) यदि प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ के फलस्वरूप योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा वेतन निर्धारण/वेतन सत्यापन के क्रम में त्रुटि पायी जाती है या अन्य किसी स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है, तो उक्त के अनुरूप प्रदत्त वित्तीय उन्यन में संशोधन किया जाएगा तथा अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी।

(घ) वादीगण को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के तहत उपर्युक्त लाभ की स्वीकृति WP(S) No-1569/2006 शिव कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–21.07. 2017 को पारित आदेश, LPA No- 504/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–25.02.2019 को पारित आदेश एवं Cont. (civil) Case No- 753/2017 में महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रदान की गयी है। इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अजय त्रिवेदी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 12/कोर्ट–05–04/2018 का0 10505 /राँची, दिनांक– 31 / 12/ 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची, वर्त्तमान पत्ता–आवास संख्या–2/1, आड्रे हाउस, झारखण्ड, राँची/श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची वर्त्तमान पत्ता– ग्राम + पोस्ट–पहारपुर, जिला–नवादा, बिहार–805126/ श्री लाल दत्त ठाकुर, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, वर्त्तमान पत्ता–कृते–श्री दशरथ शर्मा, वीर कुंवर सिंह नगर, रोड नं0–01, जनता रोड, पो0–जी0पी0ओ0, पटना, बिहार–800001 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.12.19
सरकार के अवर सचिव।